समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

पत्रांक 875(5) / भूअ0

प्रेषक,

अतिरिक्त जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
–सह–भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा।

सेवामें,

जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी,
गोड्डा।

गोड्डादिनांक : 21.07 / 2017

विषय :– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 की धारा– 15(1) के तहत विविध वाद संख्या– 06/2017-18 में पारित आदेश की प्रति वेवसाइट पर प्रदर्शित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि भू–अर्जन विविध वाद संख्या– 06/2017-18 की आदेश प्रति की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुरोध है कि उक्त विविध वाद संख्या– 06/2017-18 के आदेश सहित दस्तावेजों को गोड्डा जिला के वेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

21.7.17

अतिरिक्त जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
–सह–भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा।

जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा।

न्यायालय अपर समाहर्त्ता–सह–समाहर्त्ता, (भू–अर्जन, 5000 हेक्टेयर)

परियोजना का नाम– अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड के 2x800 MW तापीय विद्युत संयंत्र।

विविध वाद संख्या– 06/2017-18

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 की धारा– 15(2) अंतर्गत।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्र के बारे में टिप्पणी, तार सहित
21/6/17	अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड के 2x800 MW तापीय विद्युत संयंत्र के स्थापना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 के तहत धारा– 11 के अधीन मौजा– मोतिया, पटवा, गंगटा (गोड्डा अंचल), गायघाट, सोनडीहा, माली (पोड़ैयाहाट अंचल) का कुल रकवा– 917.21 एकड़ अधिसूचना निर्गत की गई है। धारा– 11 के प्रकाशन के उपरांत धारा– 15 के अधीन आपत्ति आवेदन आमंत्रित किया गया। श्री चिन्तामणि साह के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यदस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 की धारा– 15(1) के अंतर्गत अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड के 2x800 MW तापीय विद्युत परियोजना के स्थापना के क्रम में आपत्ति/आवेदन समर्पित किया गया है। श्री साह द्वारा समर्पित आवेदन को सूचीबद्ध करते हुए उन्हें स्वंय या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक– 08.06.2017 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। श्री चिन्तामणि साह के द्वारा प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक– 08.06.2017 को मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए समय की मांग की गई। अधोहस्तक्षरी के द्वारा उन्हें दिनांक– 09.06.2017 को अपना पक्ष रखने का समय दिया गया। श्री चिन्तामणि साह के प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक– 09.06.2017 को कार्यालय में अपना लिखित पक्ष को समर्पित कर चले गए। अधोहस्ताक्षरी के समक्ष, उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। श्री चिन्तामणि साह के द्वारा समर्पित किये गये आपत्ति पर सरकारी अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति किया गया।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की के बारे में टिप्प सहित

श्री चिन्तामणि साह द्वारा बिन्दुवार आपत्ति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्रमवार निष्कर्ष दिया गया है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :–

1. अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति–

अदानी की EIA एवं EMI रिर्पोट के अनुसार प्रस्तावित भूमि का 70.3 प्रतिशत हिस्सा कृषि योग्य भूमि है जबकि वास्तविक में 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा कृषि योग्य भूमि है, जिसपर नहर की सुविधा है, अलग–बगल छोटी–छोटी नदियॉ, तालाब एवं सरकारी एवं निजी कुऑ के अलावे बोरिंग की व्यवस्था है तथा निट्टी दोमट एवं उपजाउ है। इस प्रकार भूमि सिंचित एवं बहुफसलीय है जो अधिनियम– 10 के मुताविक अर्जन से मुक्त रखा जाना चाहिए क्योंकि भोजन (अनाज) मनुष्य की पहली आवश्यकता है।

(1) निष्कर्ष :– अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक– 1189/रा0 दिनांक– 05.08.2016, अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक– 479 दिनांक– 09.08.2016 एवं पत्रांक– 543 दिनांक– 07.09.2016 द्वारा अधिग्रहित किये जाने वाले भूमि के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 की धारा– 10 एवं झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियामावली– 2015 के नियम– (03) तथा 17–(ii) एवं (iii) अंतर्गत अधिग्रहित किये जाने वाली भूमि है।

2. लोक प्रयोजन के लिए दिए गये औचित्य के प्रति–

स्नुचित सरकार द्वारा कहा गया है कि अदानी पावर प्लांट लोक प्रयोजन हेतु है परन्तु यह परियोजना विशुद्ध एक व्यक्ति या कम्पनी (M/S ADAANI) का नीजी व्यापार एवं हितकारी है। इससे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण (1600 MW) बिजली विदेश यानि बंगलादेश को जायेगी तो यह कैसे लोक प्रयोजन के लिए कही जा सकती है ? जबकि इसके कारण सैकड़ों एकड़ जमीन जाएगी, जिससे हजारों लोगो की आजिविका पर कुप्रभाव पड़ेगा, करोड़ों लीटर पानी का दोहन होगा, पर्यापरणीय हानि होगी, प्लांट के गिर्द 15 कि0मी0 के क्षेत्र की आबादी पर तरह–तरह का कुप्रभाव पड़ेगा। ऐसे में हमारी आपत्ति है कि इस परियोजना से बिजची का लाभ बंगलादेश को मिलेगा और सम्पूर्ण लाभांश अदानी कम्पनी को जाएगा।

(2) निष्कर्ष :–

1. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 की धारा– 2(1)(ख–1) अंतर्गत भारत सरकार को आर्थिक कार्य विभाग (अवसंरना अनुभाग) की तारीख 27 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या– 13/6/2009-INF में सूचीबद्ध क्रियाकलाप अंतर्गत उर्जा – विद्युत उत्पादन लोक परियोजन हेतु सूचीबद्ध है।

क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

2. अदानी पावर लिमिटेड द्वारा झारखण्ड सरकार के साथ 2 X 800 MW कुल– 1600 MW ताप विद्युत परियोजना हेतु दिनांक– 17 फरवरी 2016 को (Stage 1) एवं दिनांक– 21 अक्टूबर 2016 को (Stage 2) को उभय पक्षो के बीच MOU हस्ताक्षरित हुए है।

3- MOU के कंडीका 1.0 में उल्लेख किया गया है "The Government of Jharkhand is desirous of utilization its natural resources and rapid industrialization of the state, so as to bring prosperity and well being to its people and has been making determined efforis to facilitate setting up of new Projects in the state for public good and welfare".

उक्त दोनों MOU में इस परियोजना को For public good and welfare माना गया है।

4. कुल उर्जा का 25 प्रतिशत अर्थात 400 मेगावॉट झारखण्ड सरकार को प्राप्त होगा। इससे राज्य सरकार के उर्जा की आवश्यकता भी पूरी होगी।

3. सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोट के निष्कर्षो के प्रति–

06 दिसम्बर 2016 को मोतिया एवं बक्सरा गॉव में सामाजिक सामाघात संबंधी सुनवाई की गई थी, जिसमें कम्पनी के साथ जिला प्रशासन की मिलीभगत से कानुन को ताक पर रखकर भारी गड़बड़, मनमानी एवं पुलिसिया बल प्रयोग के आधार पर सुनवाई एक तरफा कम्पनी के पक्ष में घोषित कर दिया गया। यह बिलकुल अनुचित एवं अवैध है। इस संबंध में जिला प्रशासन सहित राज्य सरकार से गुहार लगाया गया। राज्य सरकार द्वारा तीन सदस्य समिति का गठन हुआ है, जिसका रिर्पोट आना बाकी है। इस तरह सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का निष्कर्ष बिलकुल गलत एवं एक तरफा है।

(3) निष्कर्ष :– ए0एफ0सी0 इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के द्वारा सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन का कार्य करवाया गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के प्राप्त प्रारंभिक ड्राफ्ट पब्लिकेशन के आधार पर दिनांक– 06.12.2016 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 की धारा– 05 अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन हेतु प्रभावित परिवारों का लोक सुनवाई किया गया।

ए0एफ0सी0 इंडिया ने अपने सामाजिक प्रभाव प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है प्रस्तावित परियोजना का विभिन्न सकारात्मक एवं नकारात्मक असर पड़ेगा। परन्तु सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव से ज्यादा लाभकारी है।

ा की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 की धारा– 07 अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन हेतु प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया, जिसका मंतव्य प्राप्त किया गया है। भूमि अधिग्रहण करने हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं निष्कर्ष संख्या– 01, 02, 03 के आधार पर आवेदक श्री चिन्तामणि साह, संयोजक, भूमि बचाओं संघर्ष समिति, गोड्डा के द्वारा आपत्ति/आवेदन को खारिज किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–समाहर्त्ता,
गोड्डा (भू–अर्जन, 5000 हेक्टेयर)